आयकर अपीलीय अधिकरण, इंदौर न्यायपीठ, इंदौर

श्री कुल भारत, न्यायिक सदस्य तथा
श्री मनीष बोरड, लेखा सदस्य के समक्ष

आ(एसएस). अ. सं. 23 /इंदौर /2017
निर्धारण वर्ष : 2012-13

सहायक आयकर आयुक्त सेंट्रल-2, इंदौर	बनाम	मे. चुग रिअलिटी, इंदौर
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
स्था.ले.सं.- एएजीएफसी 0376 ई		

आ(एसएस). अ. सं. 78 /इंदौर /2017
आ. अ. सं. 240 /इंदौर /2017
निर्धारण वर्ष : 2012-13 तथा 2013-14

सहायक आयकर आयुक्त सेंट्रल-2, इंदौर	बनाम	श्रीमती रीनादेवी चुग, इंदौर
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
स्था.ले.सं.- एबीएमपीसी 2562 क्यू		

आ. अ. सं. 1329 /इंदौर /2016
निर्धारण वर्ष : 2013-14

सहायक आयकर आयुक्त सेंट्रल-2, इंदौर	बनाम	मे. चुग रिअलिटी प्रा.लि., इंदौर
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
स्था.ले.सं.- एएडीसीसी 9219 के		

आ. अ. सं. 1331 /इंदौर /2016
निर्धारण वर्ष : 2013-14

सहायक आयकर आयुक्त सेंट्रल-2, इंदौर	बनाम	मे. चुग बिल्डकॉम प्रा.लि., इंदौर
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
स्था.ले.सं.- एएडीसीसी 9519 एल		

राजस्व की ओर से :	श्री लाल चंद, आयकर आयुक्त
निर्धारिती की ओर से :	श्री अर्पित गौर, सीए

सुनवाई तिथि :	11.10.2018
उद्घोषणा तिथि :	12.10.2018

आदेश

श्री कुल भारत, न्यायिक सदस्य द्वारा

राजस्व द्वारा निर्धारण वर्ष 2012-13 तथा 2013-14 से संबंधित ये अपीलें विद्वान आयकर आयुक्त (अपील)-III, इंदौर के अलग-अलग आदेशों दिनांक 24.10.2016, 16.12.2016 तथा 14.09.2016 के विरूध्द दाखिल की गई हैं ।

2. सुनवाई के दौरान, संबंधित निर्धारितियों के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि इन अपीलों में कर प्रभाव विनिहित सीमा से कम है अतः सी.बी.डी.टी द्वारा जारी अनुदेशों तथा विभिन्न उच्च न्यायालयों तथा सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों की दृष्टि में विभाग को ये अपीलें दाखिल नहीं करना चाहिए थी ।

3. विद्वान विभागीय प्रतिनिधि अभिलेख पर कोई प्रतिकूल सामग्री लाकर इस तथ्य का खंडन नहीं कर सके ।

4. हमने अभिलेख का अध्ययन किया है । हमने पाया कि इन प्रकरणों में अंतर्ग्रस्त कर विनिहित सीमा अर्थात 20 लाख से कम है जैसा कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के परिपत्र सं. 3/2018 दिनांक 11.07.2018 में निहित है । आयकर अधिनियम की धारा 268 ए के अधीन दी गई शक्तियों के अनुपालन में अधिकरण के समक्ष कोई अपील दाखिल नहीं की जानी चाहिए यदि कर प्रभाव रू. 20 लाख से अधिक नहीं है । इस संबंध में "कर प्रभाव" का अर्थ निर्धारित कुल आय पर कर तथा उस कर के बीच का अंतर है जो प्रभार्य होता यदि कुल आय में से उन मुद्दों से संबंधित आय, जिनके विरूध्द अपील दाखिल करना आशयित है, को घटाया गया होता । यह परिपत्र इसके अतिरिक्त कथन करता है कि कर में उस पर कोई ब्याज शामिल नहीं होगा, सिवाए उसके जहाँ ब्याज की प्रभार्यता स्वयं ही विवादाधीन है । हमने इसके अतिरिक्त पाया कि परिपत्र के परिच्छेद 13, जो निम्न रूप से उद्धृत है, में यह उल्लिखित है कि यह अनुदेश लंबित अपीलों पर भी लागू होगा ।

> " *यह परिपत्र इसके आगे माननीय सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय / अधिकरण के समक्ष दाखिल एसएलपी/अपीलों/प्रत्याक्षेपों/ संदर्भों पर लागू होगा और यह भूतलक्षी रूप से लंबित एसएलपी/अपीलों/प्रत्याक्षेपों/ संदर्भों पर लागू होगा । ऊपर परिच्छेद 3 में विनिर्दिष्ट कर सीमा के नीचे की लंबित अपील को वापिस लिया जाए/ दबाव नहीं डाला जाए ।* "

4. आक्षेपित प्रकरणों में, हमने पाया कि विवादाधीन मुद्दे रू. 20 लाख से अधिक नहीं है । इस तथ्य की दृष्टि में, अनुदेश के अनुसार राजस्व को इन अपीलों पर दबाव डालना अपेक्षित नहीं है । अतः, हम राजस्व द्वारा दाखिल अपीलों को प्रकरण के गुणागुण पर विचार किए बिना आरंभतः खारिज करते है क्योंकि हमारे मत से सीबीडीटी द्वारा जारी परिपत्र अधिनियम की धारा 268ए(1) के उपबंधों की दृष्टि में विभागीय अधिकारियों के लिए अनिवार्य है । माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नवनीत लाल झवेरी बनाम एएसी 56 आईटीआर 198 (एससी) प्रकरण में कथित दृष्टिकोण लिया गया है । माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने डायरेक्टर ऑफ इंकम टैक्स बनाम एस.आर.एम.बी डेयरी फार्मिंग (प्रा) लि. के

प्रकरण में सिविल अपील सं. 19650/2017 में राजस्व की अपील खारिज करते समय आयकर आयुक्त सेन्ट्रल-III बनाम सूर्या हर्बल्स लि. के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय के तीन न्यायाधीश न्यायपीठ निर्णय का अनुसरण किया है और अभिधारित किया है कि परिपत्र लंबित मामलों पर भी लागू होगा । तद्नुसार, हम राजस्व द्वारा दाखिल अपीलें पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज करते हैं ।

5. परिणामतः, राजस्व की अपीलें खारिज की जाती हैं ।

आदेश 12.10.2018 को खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया है ।

हस्ता/-	हस्ता/-
(मनीष बोरड)	(कुल भारत)
लेखा सदस्य	न्यायिक सदस्य

दिनांक : 12.10.2018

प्रतिलिपि : अपीलार्थी, प्रत्यर्थी, आयकर आयुक्त (अपील), आयकर आयुक्त, विभागीय प्रतिनिधि, गार्ड फ़ाइल